न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—01/2020 (2020/00014) दर्ज दिनांक 14.01.2020

अपील 75 एल0आर0एक्ट

1. नारायण लाल पिता भेरा अहीर निवासी सुरावास तहसील सहाड़ा जिला भलवाड़ा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।
2. ग्राम पंचायत सुरावास जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सुरावास।

—रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति वकिल अपीलान्टः— श्री संतोष पारीक
पेरोकार सरकार

अपील विरूद्ध नामान्तरणकरण संख्या 1331 दिनांक 21.07.20217 ग्राम सुरावास , ग्राम पंचायतत सुरावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 26.02.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का सजरा निम्न प्रकार हैः—

```
                              केला
                               I
I------------------------------------------------------I
हीरा (फोत)                                             भेरा
 I                                                      I
I---------I--------I                                नारायणलाल
प्यारीबेवा    लोभचन्द       मोहनी
(फोत)       (फोत) पुत्र    (फोत) पुत्री
```

यह कि उक्त सजरे के अनुसार हिरा के केवल मात्र मोहनी के वारिस बचे है इसलिये हिरा के हिस्से में प्यारी एवं मोहनी के वारिस ही बचे है। यह कि ग्राम सुरावास बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 289 में कुल किता 23 रकबा 6.13 हे0 भूमि तथा खाता संख्या 2267 में कुल किता एक रकबा 0.07 हे0 आराजी चाह स्थित है। और इसमें प्यारी बेवा हिरा का 1/4 हिस्सा निहित होकर उसके खाते में दर्ज रेकार्ड था।

यह कि दिनांक 04.04.2014 को प्यारी बेवा हिरा अहीर ने रजिस्टर वसियत पत्र अपीलान्ट के पक्ष में लिपीबद्ध रजिस्टर्ड करवा दिया एवं दिनांक [illegible]14 को प्यारी बेवा हिरा की मृत्यु हो गयी और उसी दिन से वसीयत ना[illegible] आ गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 15:11:38 IST
Reason: SelfAttested

1.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

यह कि प्यारी की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत सुरावास ने नामान्तरण संख्या 1331 फैसल किया। यह कि दिनांक 21.07.2017 को ग्राम पंचायत सुरावास द्वारा निर्णित इन्तकाल आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

यह कि मृतक प्यारी ने अपीलान्ट के पक्ष में अपने 1/4 हिस्से की रजिस्टर्ड वसीयत की है उसके बावजूद ग्राम पंचायत सुरावास ने अपीलान्ट के पक्ष में 1/8 हिस्से का ही नामान्तरण फैसल किया और दिनांक 21.07.2017 को मोहनी जीवीत नहीं होते हुए भी 1/8 हिस्से का नामान्तरण भी उसके हिस्से में फैसल कर दिया जो पूर्णतया गैर कानूनी होनेसे खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि मोहनी की मृत्यु दिनांक 15.03.2014 को ही हो गयी थी।

यह कि ग्राम पंचायत सुरावास ने रजिस्टर्ड वसीयत नामें कि अनदेखी करते हुये नामान्तरण फैसल करने में भारी भूल की है। क्योंकि परिवादी की पैतृक संपत्ति में बंटवारा होने के पश्चात् प्यारी के हिस्से में पृथक् से 1/4 हिस्सा आया जिससे यह हिस्सा उसका स्वअर्जित हिस्सा हो गया और इस हिस्से की वसीयत करने का उसे पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त था और उसी के अनुरूप उसने अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत नामा लिखा जिसे नजर अंदाज करते हुए नामान्तरण फैसल किया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। जंहा तक ग्राम पंचायत ने जब नामान्तरण फैसल किया तब मोहनी भी जीवित नहीं थी उसके नाम पर भी गलत तरीके से नामान्तरण फैसल कर दिया जो विधि एवं कानून के प्रतिकुल होने से खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि आराजियात जैर बहस ग्राम सुरावास में स्थित होने से एवं नामान्तरणकरण ग्राम पंचायत सुरावास द्वारा गलत रूप से फैसल करने से अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है।

अतः सादर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सुरावास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2017 बाबत् नामान्तरण संख्या 1331 ग्राम सुरावास को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना एवं आवाजे लगवाने पर अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती है। वकील अपीलान्ट बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत सुरावास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2017 बाबत् नामान्तरण संख्या 1331 ग्राम सुरावास को खारिज करने बाबत् निवेदन किया।

मेरे द्वारा उक्तानुसार विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं [illegible] का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जा[illegible] पारित निर्णय दिनांक 21.07.2017 बाबत् नामान्तरण संख्या 13[illegible] किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना उचित है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 15:11:38 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]पुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या :—01 / 2020(2020 / 00014)
अपील 75 एल0आर0एक्ट

:: आदेश ::

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सुरावास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2017 बाबत् नामान्तरण संख्या 1331 ग्राम सुरावास निरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। एंव तहसीलदार सहाड़ा को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि निर्णय में वर्णित आब्जर्वेशन एवं दस्तावेज के अवलोकन में परिक्षण कर, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नामांतरण दर्ज करना सुनिश्चित् करें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0) 3.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 15:11:38 IST
Reason: SelfAttested